(5)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ

पीठासीन अधिकारी: **ओमप्रकाश सहारण RAS**

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्या:–**43 / 23** (खाद्य पदार्थ नमुना संख्या के. **(1581)**

राजस्थान सरकार जरिये जीत सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री गंगानगर।   प्रार्थी

बनाम

श्री संतोष कुमार श्री बीरबलराम खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स कुबेर डेयरी, रायसिंहनगर, निवासी वार्ड नं. 03, रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **26 (2)ii/51 FSSA Act 2006**

दिनांक:– 12-8-24

निर्णय

यह इस्तगासा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 **ii** की धारा **51** एफ, एस, एस, ए 2006 के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार है:– यह है कि परिवादी तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक **14.10.2022** को दोपहर **02:00** बजे बजे पर निरीक्षणार्थ मैसर्स– **कुबेर डेयरी, रायसिंहनगर** का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान **श्री संतोष कुमार श्री बीरबलराम खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स कुबेर डेयरी, रायसिंहनगर, निवासी वार्ड नं. 03, रायसिंहनगर जिला अनूपगढ।** संस्थान पर मालिक **श्री संतोष कुमार श्री बीरबलराम खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स कुबेर डेयरी, रायसिंहनगर** कारोबार कर रहा था, जिसका विक्रेता व मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञा पत्र मौके पर नही दिखाया। केवल मौखिक रूप से आवेदन करना बताया।

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में लगभग **20 किलो मावा (खोवा) डी फीज** में खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय हेतु रखा था। इसी **मावा (खोवा)** की शुद्धता की जॉच हेतु विक्रेता एंव मालिक को मौके पर फार्म नं0 5 ए भरकर प्रति नमुना सूचनार्थ दी गई गवाहान व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फॉर्म संख्या 5 ए की प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और खरीद प्राप्ती रसीद ली जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मावा (खोवा)** को बराबर चार बोतलों में भरकर लिया। 4 बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाए असी लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1581** के दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराए। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के 1581 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रत्येक नमुना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये की पेपर स्लिप व रेपर दोने पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण **के– 1581 मावा (खोवा)** लिखकर हस्ताक्षर किये। चारों नमुना भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों मौके पर पढकर सुनाकर समझाकर हसताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझाकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैने स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म नं0 6 की प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमुना सिल लगाई जिससे नमुना सील किया। एक नमुना भाग मय फार्म नं0 6 की आउटर कवर में सील बंद कर सिल मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी तत्कालीन श्रीगंगानगरं के द्वारा जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सिल बंद नमुना भाग में फॉर्म नं0 6 की दो प्रतिया के आउटर कवर में सिल बंद कर तथा नमुने का चौथा भाग डीओ मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर को मेरे स्वयं के द्वारा जमा करवा कर रसीद [illegible] के साथ संलग्न है।

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मु[illegible]चिकित[illegible] अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक **FSSA/2022/516-17** दिनांक 22.11[illegible] द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेशक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोग शाला राजस्थान बीकानेर से प्राप्त जांच [illegible] क्रमांक **L.S.995/Act/2022/995** दिनांक 22.10.2022 अनुसार उक्त नमुना **Sub Standard Food** पाया गया। खाद्य विश्लेशक बीकानेर [illegible] रिर्पाट न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। यह है कि आवेदक ख[illegible]सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली, का[illegible] करने के बाद श्रीमान अभीहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने पत्र **क्रमांक 538. 39 28.11.2022** के द्वारा **अवधि** पार खाद्य पदार्थ के नमून के प्रकरणों की अभियोजन समय सीमा बढ़ाने एवं माननीय न्यायालय में केस लगान की स्वीकृति प्रदान हेतु आवेदन किया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2024.09.10 14:16:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के पत्रांक खाद्य सुरक्षा/निदे./2022/337 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव को उक्त प्रकरण को संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक 538-39 दिनांक 28.11.2022 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। अप्रार्थी द्वारा मावा (खोवा) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) ii/52 FSSA Act 2006

श्रीमान जी से निवेदन है कि अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अकुश लग सके।

गैरसायल द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकन किया कि गैरसायल द्वारा उक्त खोवा (मावा) मिठाई कि परिवाद मद सं. 1 रिकॉर्ड का तथ्य है जोकि कानूनी विषय है। परिवाद पत्र की मद सं. 2 में दर्ज तथ्य परिवादी की ओर से साबित किया जाना आवश्यक है उपरोक्त सैंपल की कथित कार्यवाही मनमाने तरीके से की गई तथा सैंपल लेने की फर्द मे किसी भी स्वतंत्र साक्षी को मौका नहीं बुलाया गया। इस मद को साक्ष्य द्वारा साबित करने का दायित्व परिवादी का है। परिवाद पत्र की मद संख्या 3 मे परिवादी द्वारा 280 रूपए का भुगतान करना व खाद्य अधिकारी के हस्ताक्षर होने का विवरण अंकित है इस मद में अंकित तथ्यों को परिवादी द्वारा साक्ष्य से साबित किया जाना आवश्यक है। परिवाद मद संख्या 4 अस्वीकार है। परिवाद मद संख्या 5 अस्वीकार है। परिदवाद मद संख्या 6 अस्वीकार है। परिवाद पत्र की मद संख्या 7 कानूनी है। परिवाद मद सख्या 8 कानूनी विषयान्तर्गत आती है। परिवादी मद संख्या 9 अस्वीकार है। परिवाद पत्र की मद संख्या 10 कानूनी विषयान्तर्गत है। परिवाद पत्र की मद संख्या 11 अस्वीकार है। परिवाद पत्र की मद संख्या 12 अस्वीकार है। परिवाद पत्र की मद संख्या 13 अस्वीकार है।

खाद्य निरीक्षक द्वारा इस्तगासा में दर्ज सभी आरोपो को निराधार बताया, एवं निवेदन किया कि खाद्य विशलेशक की रिपोर्ट में विश्लेषण रिपोर्ट एफ.एस.एस.ए अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अंकित माप दण्ड अनुसार मावा (खोवा) अमानक पाया गया है। तथा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा हो ऐसा कोई हानिकारक मिश्रण मावा (खोवा) में होना खाद्य विश्लेषक अथवा खाद्य निरीक्षक द्वारा इस्तगासा मे दर्ज नही किया गया है। बहस गैरसायल प्रार्थी प्रस्तुत जबाव तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक प्रयोग शाला बीकानेर दिनांक 22.10.2022 में मावा (खोवा) एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का उलंघन करते हुए नमुना 1581 Sub Standard food पाया गया है। अतः एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा 26(2) ii 52 के अन्तर्गत प्रावधान के मध्य नजर गैरसायलफर्म श्री संतोष कुमार श्री बीरबलराम खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स कुबेर डेयरी, रायसिंहनगर, निवासी वार्ड नं. 03, रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ /25000/- रूपये का आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला भुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 12/8/24 को सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2024.09.10 14:16:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner